उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-4005/37-1-2014-9(61)/2014

लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2014

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्रीमती अंजिमा गुप्ता पत्नी डा0 अजीत कुमार गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पति डा0 अजीत कुमार गुप्ता, पशु चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी को दिनांक 10-3-2014 को दिल का दौरा पड गया था। स्थिति अत्याधिक खराब होने के कारण उन्हें मेदान्ता सिटी अस्पताल, गुडगांव में दिनांक 16-3-2014 को भर्ती कराया गया, जहॉ पर बाईपास सर्जरी की गयी। श्रीमती गुप्ता द्वारा स्थानान्तरण सत्र में इस आशय का अनुरोध किया गया कि उनके पति डा0 अजीत कुमार गुप्ता का स्थानान्तरण जनपद-बाराबंकी से पशु चिकित्सालय-आलमबाग, गोसाईगंज, गोमतीनगर, बी0पी0 संस्थान, लखनऊ में से किसी एक स्थान पर कर दिया जाय, ताकि आकस्मिकता पडने पर वह एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में इलाज कर सके।

2- निदेशक, पशुपालन विभाग ने अपने आदेश संख्या-2910/स्था0-1, दिनांक 5-7-2014 द्वारा डा0 अजीत कुमार गुप्ता, पशु चिकित्साधिकारी, सूरतगंज, बाराबंकी को उनकी गम्भीर बीमारी व चिकित्सा के कारण किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अपवाद स्वरूप स्थानान्तरित कर पशु चिकित्सालय गंगागंज, लखनऊ में तैनात किया, जबकि उसी समय निदेशक, पशुपालन के कार्यालय आदेश दिनांक 5-7-2014 द्वारा डा0 रमेश चन्द्र सिंह को गोसाईगंज में रिक्त पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया गया। चूँकि डा0 गुप्ता की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, अत: यदि डा0 अजीत कुमार गुप्ता को लखनऊ में ही तैनात किया जाना था, तो उन्हें शहर लखनऊ@ एस0जी0पी0जी0आई0 से अपेक्षाकृत नजदीक अस्पताल गोसाईगंज में तैनात करना चाहिए था, जो तत्समय रिक्त था। डा0 रमेश चन्द्र सिंह की परिस्थितियॉ ऐसी नहीं थी और वह गंगागंज में भी कार्य कर सकते थे।

http://shasnadesh.up.nic.in

3- अतः श्री राज्यपाल डा0 अजीत कुमार गुप्ता की परिस्थिति विशेष को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें जनपद-लखनऊ में पशु चिकित्सालय-गंगागंज से पशु चिकित्सालय-गोसाईगंज एवं पशु चिकित्सालय-गोसाईगंज में तैनात डा0 रमेश चन्द्र सिंह को पशु चिकित्सालय-गंगागंज, लखनऊ में स्थानान्तरित कर तैनात किये जाने का आदेश प्रदान करते है।

अनन्त कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या-4005(1)/37-1-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर निदेशक, ग्रेड-2, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निदेशक, पशुपालन
3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वह तत्काल प्रश्नगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4- सम्बन्धित अधिकारी गण द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वह आदेश निर्गत होने की दिनांक से एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें एवं शासन/निदेशालय को कार्यभार प्रमाणक उपलब्ध करायें।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in